# ''हिन्दी, हिन्द के हृदय एवं विकास की भाषा''

**निशा किचलू**
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

पण्डित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में ''हिन्दी एक जानदार भाषा है, इसका जितना विकास होगा देश का भी उतना ही विकास होगा।'' हिन्दी, हिन्द के हृदय की एवं जन–जन के मन की भाषा है। हम हिन्दवासी अपनी भाषा को अपनी माता के समान आदर एवं सम्मान देते हैं। हिन्दी हमारी भारतीय संस्कृति और इस देश की आत्मा है जिसके विषय में विश्व के महान विचारक मैक्समूलर ने कहा था कि ''जब कभी विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति के बारे में चर्चा होगी तो भारतीय संस्कृति का नाम आते ही मैं अवश्य ही नतमस्तक हो जाऊंगा।''

हिन्दी विश्व की सर्वाधिक सम्पन्न भाषा है एवं संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है। वस्तुतः हिन्द शब्द के साथ 'ई' प्रत्यय लगाकर हिन्दी बनता है। इतिहास का दर्पण बताता है कि भारत का प्रारम्भिक नाम जम्बूद्वीप था, फिर भरत खण्ड और बाद में आर्यवर्त था फिर भारतवर्ष बना। यह नाम हिन्दी वस्तुतः पश्चिमी सीमा पर सिन्धु नदी की उपस्थिति के कारण माना जाता है। सिन्धु को सिन्धु फिर हिन्दू नाम से उच्चारित किया जाता रहा हैं यही आगे चलकर हिन्दू से हिन्दी शब्द की उत्पत्ति का कारण माना जाता है।

भारत एक ऐसा भाषाई देश है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं अपनी–अपनी सुसमृद्ध साहित्यिक–सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ रची–बसी हैं। हिन्दी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह सरलता से बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। हिन्दी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और दक्षिण चारों दिशाओं को एक सूत्र में बांध रखा है। अतः हिन्दी को आदान–प्रदान की सेतु भाषा बनने का भी श्रेय मिला है। विश्व में मारीशस, सुरीनाम, गयाना, भारत आदि में हिन्दी अधिकांश रूप से तथा नेपाल में अल्परूप से प्रयोग में लाई जाती है। हिन्दी के शब्दकोश में 2½ लाख से अधिक शब्द हैं, जिनमें दस हजार अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हैं। हिन्दी में नये–नये शब्दों के सृजन की भी क्षमता है। सम्पूर्ण भारत में हिन्दी बोलने एवं समझने वालों की संख्या लगभग 57% से भी अधिक है। हिन्दी वास्तव में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है।

हिन्दी भाषा के इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए 14 सितम्बर 1949 को इसे राजभाषा का सम्मान प्रदान हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1965 के पश्चात समस्त राजकीय कार्य केवल हिन्दी में किए जाएंगे। हिन्दी को संविधान की धारा 343 (1) के द्वारा राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। राजभाषा से संबंधित समस्त प्रावधान संविधान की धारा 343 से धारा 351 में वर्णित हैं। कहते हैं कि किसी भी देश का विकास उसकी अपनी भाषा पर निर्भर होता है। एक समृद्ध राष्ट्रभाषा उस देश के विकास में पग–पग पर सहायक सिद्ध होती है और जिस देश की कोई भाषा नहीं होती है उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास हिन्दी जैसी समृद्ध भाषा है, कहा भी गया हैः–

**''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।**
**बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहिय को सूल''।।**

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। जिसमें हिन्दी से संबद्ध कर्मचारियों की भर्ती की गई। राजभाषा आयोग द्वारा

सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी में प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न संस्थानों/मंत्रालयों द्वारा विज्ञान में लिखित मौलिक हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार की योजना प्रारम्भ की गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान आदि में अधिकांश सरकारी कार्य हिन्दी में हो रहा है। केन्द्र सरकार में भी हिन्दी के प्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे संस्थान में भी तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकतर कार्य हिन्दी में हो रहा है तथा संस्थान वार्षिका पत्रिका ''प्रवाहिनी'' एवं अर्ध वार्षिक तकनीकी पत्रिका ''जल चेतना'' का प्रकाशन हिन्दी में कर रहा है। सी–डेक द्वारा विकसित यूनिकोड सॉफ्टवेर की सहायता से कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी का प्रयोग काफी सरल हो गया है। इन्टरनेट पर हिन्दी का अथाह भण्डार भरा हुआ है। इन्टरनेट पर हिन्दी अनुवाद के लिए अनेक साफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से अनुवाद का कार्य भी सरलता से किया जा सकता है। हमें चाहिए कि इस उपलब्ध अपार समृद्ध शब्द सम्पदा का लाभ उठाकर अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करें।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ''कंपनियां अपने अधिकारियों को हिन्दी सिखाने पर बल दे रही हैं। बाजार से लेकर मीडिया तक हिन्दी भाषा जानने वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के उपयुक्त अवसर बढ़ रहे हैं। अध्यापन के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से नए–नए कोर्स खुल रहे हैं तथा लगभग 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी में अध्ययन–अध्यापन कार्य किया जा रहा है। हिन्दी माध्यम से और हिन्दी को एक विषय के रूप में चुनकर सैकड़ों युवा राज्य और केन्द्र सिविल सर्विस परीक्षा में चयनित हो रहे हैं। राज्य स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम के छात्र–छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थानों से विदेशी भाषाओं की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कर उन्हें देश में हिन्दी माध्यम में उपलब्ध कराया जा रहा है। बैंकों ने भी अपने यहां ''नेट बैंकिंग'' को हिन्दी में विकसित किया है। नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी जैसे अनेक चैनल हिन्दी में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आकर्षक मार्केटिग के लिए विज्ञापनों में हिन्दी का उपयोग हो रहा है। संसद में तथा विदेशी शिष्टमंडल की भाषा का हिन्दी में रूपान्तरण करने के लिये अनुवादकों एवं दुभाषियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

हिन्दी भाषा ने गणराज्य की राजभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों का अपना संवैधानिक दायित्व पूर्णतः निभाया है। आज हिन्दी संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से आगे निकलकर हिन्दी ज्ञानोत्पादन के क्षेत्र में बढ़ रही है। ''भारत को विकास की ओर बढ़ाते हुए अब हिन्दी भाषा राजभाषा ही नहीं अपितु विश्वभाषा व व्यापार की भाषा भी बन रही है।''

''हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करती है।''